



2026:AHC:46204

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 2596

रघुनंदन शर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: वशिष्ठ नारायण पाण्डेय, शत्रुघ्न पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वशिष्ठ नारायण पाण्डेय और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने 23.02.2026 को इस याचिका पर विचार किया था और विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था। श्री बी.के. श्रीवास्तव ने निर्देश प्रस्तुत कर दिए हैं और सूचित किया है कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं जो इस याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल न करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि मामले का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः, पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निर्णय नए चरण पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे प्रारंभ में 30.07.1991 को दैनिक वेतन भोगी फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने 16.03.1992 को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया। जब उसके दावे पर विचार नहीं किया गया,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तो उसने रिट याचिका (रिट ए संख्या . 26752 of 1994) दायर की, जिसे 22.02.1994 को निस्तारित करते हुए प्रतिवादियों को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात 02.09.1994 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता की सेवाओं को 05.08.1993 से नियमित कर दिया गया। हालांकि, 25.03.2013 को एक अन्य आदेश पारित हुआ जिसमें याचिकाकर्ता सहित कुछ अन्य फार्मासिस्टों को नियमित किया गया (याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 14 पर था)। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा 01.01.2025 को 12,51,016.00/- रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद उक्त प्राधिकारी द्वारा 13.02.2025 को एक और आदेश जारी किया गया।

4. याचिकाकर्ता ने इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. आज क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित निर्देश (दिनांक 22.01.2026) प्रस्तुत किए गए, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है और 'परिशिष्ट-ए' के रूप में अंकित किया गया है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त राशि की वसूली याचिकाकर्ता से नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब यह धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने का मामला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि प्रतिवादियों के अनुसार कुछ ऐसे लाभ दिए गए थे जो देय नहीं थे, तो नियोक्ता का कर्तव्य है कि प्रभावित पक्ष को नोटिस देने के बाद ही त्रुटियों को सुधारे। विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को कोई पूर्व नोटिस दिया गया था।
7. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सेवाएं वर्ष 2013 में नियमित हुई थीं, अतः ए.सी.पी. का भुगतान सरकारी आदेशों के अनुसार नियमितीकरण के बाद की सेवा अवधि को गिनकर किया जाना चाहिए, न कि नियमितीकरण से पहले की अवधि को। जब इस त्रुटि का पता चला, तब वसूली की गई। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता को कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था।
8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. तथ्य निर्विवाद हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं नियमित हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य विवाद यह है कि याचिकाकर्ता को नियमितीकरण से पहले की अवधि के लिए ए.सी.पी. का लाभ दिया गया था, जो प्रतिवादियों के अनुसार नियमितीकरण की तिथि के बाद दिया जाना चाहिए था। चूंकि विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाया था, और उसे सुनवाई का अवसर (नोटिस) भी नहीं दिया गया था, अतः न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाते हुए इस रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

(क) याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति और वर्तमान याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति प्रतिवादी संख्या 5, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जनपद मथुरा के समक्ष 20.03.2026 तक प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता को नोटिस देकर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करेंगे और तीन महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।

(ग) की गई कोई भी वसूली अंतिम आदेश के अधीन होगी।

10. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।